

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

पत्रांक 3003 / 14-1 बिजनौर, दिनांक, मार्च , ।। , 2016 |  
सेवा में,

✓ वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
सा०वा० मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :- बिजनौर में नहटौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग किमी० 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खसरा संख्या 147 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटैल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 81टी०सी०/ बिजनौर / 15797 / य०पी०-162 / 2015 दिनांक 07-01-2016।

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है :-

1. प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी, सलिल कुमार शुक्ला, क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रताप सिंह सैनी तथा याचक विभाग के डिवीजनल मनेजर के पदनाम की मोहर अंकित है।
2. प्रभागीय निदेशक, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संस्तुति अंकित कर दी गई है।
3. प्रस्तावित वन भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने वाले गजट की प्रति पर प्रभागीय निदेशक, द्वारा हस्ताक्षरित है।
4. परियोजना की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
5. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति को नोटीफाइड प्रति संलग्न है।
6. क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 के टोपो सीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण का भू-संदर्भित मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दृष्टि से भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. प्रतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय की वचनबद्धता की संशोधित प्रति संलग्न है।
11. प्रस्तावित वन भूमि की ए०पी०वी० जमा किये जाने की वचनबद्धता में भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोतरी होने पर उक्त बढ़ी धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है।
12. चिन्हित वन स्वरूप भूमि का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. लो०नि०वि० की अनापत्ति की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
14. मकडिस्पोजल योजना का प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

15. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ सील अंकित करा दी गई है।
16. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित रथल का डिजीटल मेप अनुमोदित ले—आउट प्लान के अनुसार संलग्न है।
17. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में बन्य जीव विहार/सेन्चुरी न पड़ने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
18. पावर ऑफ अटरनी की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
19. प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची संलग्न है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(सलिल कुमार शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

बिजनौर।

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि डिविजनल मनेजर, वेस्ट यू०पी० एस्सार ऑयल लिमिटेड नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।



(सलिल कुमार शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

बिजनौर।